राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर

(कार्यालय : प्रशासनिक भवन हल्दीना, तहसील मालाखेड़ा, जिला अलवर)
☎ Phone : 0144-2730321, 2730327, 2980046 FAX : 0144-2730321
Website : www.rrhmualv.ac.in

क्रमांक : राऋभमवि/अल/अकाद-द्वितीय/2025/301 दिनांक : 04.04.2025

–कार्यालय आदेश–

दिनांक 20.03.2025 को आयोजित निरीक्षण मण्डल की बैठक की कार्यवाही विवरण की बिन्दु संख्या 01 के अनुसार पूर्व में सम्बद्धता प्राप्त अकादमिक महाविद्यालयों की सम्बद्धता का विस्तार सत्र 2024–25 के लिए किये जाने की अभिशंषा एवं माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन दिनांक 02.04.2025 की अनुपालना में निम्नलिखित महाविद्यालय की उसके सम्मुख सीटों एवं विषयों में सत्र 2024–25 की अस्थाई सम्बद्धता में विस्तार किया जाता है।

The college for granting extension for provisional affiliation for the session 2024-25

S.No.	College Code	College Name	Course Name	Course Seat	NOC
01	192	TAKSHILA COLLEGE, HAMJAPUR, BEHROR, ALWAR.	Bachelor of Arts	80	P
			Bachelor of Science(Bio Group)	120	
			Bachelor of Science(Maths Group)	120	
			M.A./M.SC(PREV.) MATHEMATICS EXAM-2024	40	
			M.SC.(PREVIOUS) BOTANY EXAM-2024	40	
			M.SC.(PREVIOUS) CHEMISTRY EXAM-2024	40	
			M.SC.(PREVIOUS) PHYSICS EXAM-2024	40	
			M.SC.(PREVIOUS) ZOOLOGY EXAM-2024	40	

The colleges are directed not to admit excess students beyond the number of seats sanctioned to them, in case they admit excess student they will be treated as non-collegiate and appropriate action for de-affiliation will be initiated against the college.

01. महाविद्यालय द्वारा यूजीसी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा एवं विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें।
02. विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों के निरीक्षण के दौरान यदि महाविद्यालय द्वारा पत्रावली में जमा करवाये गये दस्तावेजों में भिन्नता पाई जाती है तो सम्बन्धित महाविद्यालय के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
03. सत्र 2023–24 एवं 2024–25 में सम्बद्धता शुल्क के साथ जमा जीएसटी एवं भविष्य में जीएसटी विभाग द्वारा मांगे जाने वाले जीएसटी राशि में कोई भिन्नता होती है तो महाविद्यालय को जीएसटी की राशि विश्वविद्यालय में जमा करवानी होगी।
04. महाविद्यालय के द्वारा यदि स्टाफ में कोई परिवर्तन किया जाता है तो सम्बन्धित महाविद्यालय इसकी सूचना विश्वविद्यालय को आवश्यक रूप से दें।
05. महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय में प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार निम्नलिखित कमियां तीन माह में पूर्ण करना आवश्यक होगा:–